न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 77/2017/223 आर टी ए

बिकरसिंह पुत्र जगराज सिंह जाति जटसिख निवासी रूपाणा तहसील व जिला मुक्तसर साहिब पंजाब।

––अपीलांट

बनाम

1. जसवीर सिंह पुत्र बोहड़सिंह जाति जटसिख निवासी रूपाणा तहसील व जिला मुक्तसर पंजाब।
2. रणधीर सिंह पुत्र बोहड़सिंह जाति जटसिख निवासी रूपाणा तहसील व जिला मुक्तसर पंजाब।
3. बोहड़सिंह पुत्र जगराज सिंह जाति जटसिख निवासी रूपाणा तहसील व जिला मुक्तसर पंजाब।
4. परमजीत कौर उर्फ कुलदीप कौर पुत्री बोहड़सिंह पत्नि सुबासिंह जाति जटसिख निवासी रोही कपूरा तहसील जेतो मण्डी जिला बठिण्डा पंजाब।
5. बुटासिंह पुत्र जगराजसिंह जाति जटसिख निवासी रूपाणा तहसील व जिला मुक्तसर पंजाब।
6. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

–– रेस्पोडैन्टस

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 13.05.2016 न्यायालय सहायक कलैक्टर संगरिया प्रकरण सं. 101/2016 अनवानी जसवीर आदि बनाम बोहरसिंह आदि

उपस्थित :–

श्री खुशप्रीत सिंह संधू अधिवक्ता अपीलांट

श्री श्यामलाल नागपाल अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 ता 4

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 6

निर्णय दिनांकः–27.11.2017

1. प्रकरण के सारगर्भित तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1 व 2/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 53 आरटीए पेश कर चक 6 एनकेआर खाता सं. 82/73 खाता बोहड़सिंह वगैरा मे दर्ज आराजी 9.133 है0 मे अपने हक व हिस्सा की घोषणा व खाता तकसीम का अनुतोष चाहा गया। जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री

के जरिये वादपत्र डिक्री किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण अपीलांट की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि विरूद्ध पारित की गई है। पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य है। अपीलांट व रेस्पो0 सं. 5 का गांव रूपाणा तहसील व जिला मुक्तसर है तथा अपीलांट का वही पर ही ड्राईविंग लाईसेंस, आधार कार्ड व वोटर कार्ड बना हुआ है। लेकिन रेस्पो0 ने यह जानते हुए कि अपीलांट व रेस्पो0 सं. 5 रूपाणा तहसील व जिला श्री मुक्तसर साहिब मे निवास करते है, जानबूझकर अपीलांट का पता चक हीरासिंह वाला का शीर्षक मे दिया है। जबकि अपीलांट चक हीरासिंह वाले मे नही रह रहा है। इस प्रकार रेस्पो ने अपीलांट की तामिल विधिवत नही करवाई गई इसी कारण जसवीरसिंह व रणधीरसिंह ने अपीलांट का सही पता न देकर गलत पता चक हीरासिंह वाला का देकर दैनिक अखबार तथा रजिस्टर्ड ए.डी. से तामिल फर्जी तौर पर करवाई गई है। दैनिक अखबार राजस्थान का लोकल अखबार है जो पंजाब मे नही जाता है। वादग्रस्त भूमि का विधिवत रूप से कोई बंटवारा नही हुआ। वादग्रस्त भूमि अपीलांट व रेस्पो0 सं. 3 व 5 की स्वयं पैदाकर्ता सम्पति है जिसमे रेस्पो0 जसवीरसिंह व रणधीरसिंह का हक व हिस्सा नही है तथा न ही वह हको की घोषणा व खाता तकसीम करवाने का अधिकारी है। रेस्पो0 सं0 1 व 2 ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से वादग्रस्त खाते मे से अच्छी अच्छी भूमि अपने नाम करवा ली है तथा प.न. 142/148 के कि.न. 14 मे ढाणी बनी हुई है जिसमे अपीलांट व रेस्पो0 सं. 5 कृषि यंत्र रखते है परन्तु रेस्पो0 सं. 1 व 2 ने उक्त भूमि अपने नाम करवा ली है और अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से अपीलांट का हक व हिस्सा कम किया गया है।

4. विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 सं. 1 व 2 द्वारा घोषणा व खाता तकसीम का वाद पेश किया था तथा कानून खाता तकसीम के वाद मे प्राथमिक डिक्री जारी करना आवश्यक है। अगर प्राथमिक डिक्री जारी की जाती तो अपीलांट को अपीलाधीन वाद बाबत जानकारी हो जाती तथा खाला रास्ता व अच्छी मंदी के अनुसार राजस्व मण्डल अजमेर के नियमो के आधार पर तहसीलदार राजस्व द्वारा प्रस्ताव भिजवाने उपरांत दोनो पक्षो को सुनकर अंतिम डिक्री पारित की जानी चाहिए थी।वादग्रस्त खाला की हिस्सा कस्सी गलत दर्ज है। वादी के नाम 2.281 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 5 के नाम 4.689 हिस्सा दर्ज है जिसका कुल 6.970 है0 बनता है परन्तु वादग्रस्त खाता मे शेष 6.843 है0 रकबा बचा है तथा जो हिस्सा कस्सी गलत दर्ज होने के कारण रकबा कम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। खाता विभाजन के वाद मे अन्तिम डिक्री पारित करने से पूर्व प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए अन्तिम डिक्री पारित किये जाने बाबत प्रकरण रिमाण्ड किया जावें। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे आरआरडी 1995 पेज 582, डीएनजे 2016 पेज 92, डीएनजे 2010(3) पेज 1073, सीसीसी 2014(3) पेज 405, सीसीसी 2014 (3) पेज 20 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जावें।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 ता 4 ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलांट व रेस्पो0 सं. 5 बूटासिंह को भली भांति थी क्योंकि अपीलांट व रेस्पो0 स. 3, 5 आपस मे सगे भाई है तथा अरसा दराज से तीनो भाईयों मे दावा मे वर्णित भूमि का घरूबंटवारा हो चुका था तथा मुताबिक घरूबंटवारा सभी अपने अपने हिस्से की आराजी पर काबिज चले आ रहे है। इसी के मुताबिक वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय मे दावा कर डिक्री हासिल की है तथा डिक्री की पालना मे

राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद हो चुका है। उक्त समस्त कार्यवाही की जानकारी अपीलांट को थी तथा अपीलांट रजामंद भी था। जब खुद काश्त प्रश्नगत भूमि मे करना व खेत मे ढाणी मे रिहायश करना अपीलांट ने दर्ज किया है तो अपीलांट का पंजाब मे रिहायश करने के कथन आधारहीन है। अपील किसी भी प्रकार से अन्दर मियाद नही है। इसलिए अपील मियाद बाहर होने के कारण खारिज होने योग्य है। अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस के समर्थन मे आरआरडी 2002 पेज 268, आरआरडी 2003 पेज 190 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलांट मियाद बाहर होने के कारण खारिज की जावें।

6. बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने उपरांत निष्कर्ष है कि अपीलाधीन अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व विचारण न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई हेतु सही पते पर कोई नोटिस जारी नही किया है तथा अपीलाधीन प्रकरण मे बिना प्रभावित पक्षकारो को सुने तथा बिना विधिवत तामील करवाये विभाजन का दावा डिक्री किया गया है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय के वाद मे अपीलांट का पता चक हीरासिंहवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ अंकित किया जाकर उक्त पते पर तामील करवाई गई है जबकि अपीलांट मूल रूप से गांव रूपाणा तहसील व जिला श्रीमुक्तसर साबिह पंजाब है जिस पर अपीलांट की कोई तामील नही करवाई गई। अपीलांट को सुनवाई हेतु कोई अवसर प्रदान किये बिना ही तथा विभाजन प्रस्ताव हेतु प्राथमिक डिक्री जारी किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री पारित करते समय राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नही हो पाई है। जबकि विभाजन के वाद मे राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए समस्त

सहखातेदारान की उपस्थिति मे समस्त सहखातेदारान को सुनवाई का अवसर दिया जाकर विभाजन की डिक्री पारित किये जाने का प्रावधान है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

7. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने के कारण आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 13.05.2016 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय मे इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण मे विभाजन प्रस्ताव हेतु प्राथमिक डिक्री जारी कर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 मे विहित प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करते हुए विभाजन हेतु अन्तिम डिक्री पारित करें। विभाजन प्रस्ताव हेतु मौका निरीक्षण की तिथि के संबंध मे तहसीलदार उभय पक्ष को विधिवत रूप से सूचित कर उभय पक्ष की उपस्थिति मे मौका निरीक्षण कर नियम 18 ता 21 के प्रावधानो के अनुसार प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें। तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहखातेदारान की आपत्तियों/आक्षेपों पर सुनवाई कर नियमानुसार निस्तारण करते हुये विभाजन की अन्तिम डिक्री पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 20.12.2017 को उपस्थित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ